न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ. सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 12/2022 तारीख रजू 13.09.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. विनोद जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन जाति जैन निवासी पुरानी अनाज मण्डी, आलनपुर, सवाई माधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर (एफबीओ व मालिक) फर्म–पोरवाल कचौरी, बस स्टेण्ड तिराहा, शहर, सवाई माधोपुर,

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 10/4/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 06.02.2022 को समय 01.00 पी.एम. पर मैसर्स – पोरवाल कचौरी, बस स्टेण्ड तिराहा, शहर सवाई माधोपुर पर पहुँचा। मौके पर मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे, तो उसने अपना नाम विनोद जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन जाति जैन निवासी पुरानी अनाजमण्डी, आलनपुर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (एफबीओ व मालिक) फर्म– पोरवाल कचौरी, बस स्टेण्ड, तिराहा, शहर सवाई माधोपुर बताया एवं उससे खाद्य अनुज्ञापत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022 दिखाने को कहा तो उसने खाद्य रजिस्ट्रेशन संख्या 2214061000648 मौके पर दिखाया। आवेदक द्वारा नमूना निरीक्षण के दौरान **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** करीब 10 किलो शोकेस में बिकी हेतु रखा हुआ था, को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विकेता से कहा तथा फार्म 5ए मौके पर भरकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक द्वारा विकेता के उक्त 10 किलोग्राम **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** में से 2 किलोग्राम **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विकेता विनोद जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन को रू. 280/– अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलो **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** को विकेता व गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर बोतलो के ढक्कन लगाकर एकदम

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:06:30 IST
Reason: SelfAttested

ऐयरटाइट बंद किये गये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड कमांक **एच–2213** खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा आदि दर्ज कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 **एच–2216** नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारो ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दांये, बांये सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर दिनांक 06.02.2022 नमूनीकरण की कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर विक्रेता विनोद जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार कर जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग–अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने की दो सील बन्द शीशी (i व ii पार्ट) व फार्म नं0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv पार्ट) व फार्म नं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक एफएसएसए/2022/507 दिनांक 14.03.2022 ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/689/एक्ट/2022/721 दिनांक 04.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य वस्तु **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** का नमूना अवमानक स्तर **(Sub Standard Food)** प्रकृति का पाया गया।

अतः प्रकरण में विक्रेता द्वारा अवमानक स्तर **(Sub Standard Food)** की खाद्य वस्तु **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** का निर्माण एवं विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:06:30 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य वस्तु **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्त पर अधिकत्तम शास्ति से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज में अप्रार्थी संख्या 2 के कभी हस्ताक्षर नहीं करवाये तथा समस्त कार्यवाही एकतरफा विधि विरूद्ध की गई है। नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 की पालना नहीं की है और ना ही नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की है, सारी कार्यवाही रंजिशवश एवं सरकारी आंकडों को पूरा करने के उद्देश्य से की है। समस्त कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या 2 को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इस आधार पर नैसर्गिक न्याय का हनन होने के कारण समस्त कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही बहस में यह भी तर्क दिया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर को स्वयं ही यह कन्फर्म नहीं है कि उत्पाद सबस्टेण्डर्ड है या नहीं, बहस के अन्त में प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/689/एक्ट/2022/721 दिनांक 04.03.2022 से ज्ञात हुआ कि विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया है। अभियुक्त का यह कथन कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 2 के कभी हस्ताक्षर नहीं करवाये तथा समस्त कार्यवाही एकतरफा विधि विरूद्ध की गई है, यह मान्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में केवल अप्रार्थी संख्या 1 ही अभियुक्त बनाया गया है तथा पत्रावली में उपलब्ध आवेदन पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में एक ही अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 1 को बनाया गया है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर कराने का कोई प्रश्न ही नहीं है इसीलिए अप्रार्थी संख्या 2 को सुनवाई का अवसर देने का कोई सवाल नहीं बनता है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का यह कथन कि खाद्य विश्लेषक जयपुर को स्वयं ही यह कन्फर्म नहीं है कि उत्पाद सबस्टेण्डर्ड है या नहीं भी मान्य नहीं है क्योंकि खाद्य विश्लेषक की राय अनुसार उत्पाद **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी .एवं हल्दी से निर्मित)** को इस वजह से अवमानक (SubStandard) माना गया है कि उक्त उत्पाद खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक नियम 2011 के तहत निर्धारित वनस्पति के मानको के अनुरूप नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:06:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य वस्तु **बेसन के लड्डू (बेसन, वनस्पति, चीनी एवं हल्दी से निर्मित)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 40,000/—रू0 (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/4/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:06:30 IST
Reason: SelfAttested